न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **राकेश कुमार,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 10/2023 (रा.अ.)
पंजीयन दिनांक 06.01.2023
G.C.M.S. NO. :- 2023/10

प्रेमचन्द आत्मज बेणीराम छीपा उम्र वयस्क, निवासी बागुण्ड़, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–अपीलांट

बनाम

राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, भदेसर, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय एवं आदेश दिनांक 12.12.2022 न्यायालय उप तहसीलदार भादसोड़ा, प्रकरण संख्या 678/2022 ना. क.

उपस्थितिः–1– श्री सत्यनारायण ईनाणी, अधिवक्ता अपीलांट
2– श्री भैरूलाल सालवी, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 08.08.2024

प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, भादसोड़ा द्वारा पटवार हल्का बागुण्ड, तहसील भदेसर की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम बागुण्ड की आराजी नम्बर 591 एवं आराजी नम्बर 716 रकबा 0.47 हैक्टेयर किस्म चरनोट भूमि पर नाजायज कब्जा कर अतिक्रमण मानते हुए अपीलांट के विरूद्ध अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा लगान का 50 गुणा शास्ति आरोपित करने का आदेश पारित कर दिया जो अपने आप में

Web Copy - Not Official

अवैधानिक होकर अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित पत्रावली तलब की गई। उप तहसीलदार, भादसोड़ा से पत्रावली प्राप्त होने एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य कथन यह रहा कि अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, भादसोड़ा ने पटवार हल्का बागुण्ड की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम बागुण्ड की आराजी नम्बर 591 एवं 716 रकबा 0.47 हैक्टेयर भूमि पर अपीलांट का नाजायज कब्जा मानते हुए अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा लगान 3.00 रूपये का 50 गुणा अर्थात् 150 रूपये की शास्ति आरोपित करने का आदेश पारित किया जो अपने आप में अवैधानिक होने से निरस्त योग्य है। वास्तविकता यह है कि आराजी नम्बर 591 चरनोट नहीं होकर किस्म बंजड़ प्रथम एवं देवरा अंकित है। मात्र 2 आरी में देवरा है बकाया सभी भूमि में बाडे व मकानात बने हुए हैं जो कि 30 वर्ष से भी अधिक पुराने है और अधीनस्थ तहसीलदार, भदेसर द्वारा आवंटित किये गये हैं जिसमें अपीलांट व उसके पिता को 3-3 बिस्वा आवंटित है जो अपीलांट के कब्जे में चली आ रही है और उक्त तथ्य रेकार्ड पर होते हुए भी नहीं मानने का कोई कारण नहीं है। कुल 6 बिस्वा भूमि बाडे हेतु आवंटित होकर अपीलांट के कब्जे में चली आ रही है तथा बाडा आवंटन दिनांक 23.07.1990 को हुआ है। इस प्रकार विवादित आराजीयात पर अपीलांट का वैधानिक एवं अविवादित कब्जा है उक्त समस्त तथ्यों को नजरअंदाज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त विवादित आदेश पारित किया है जो नियमों के प्रतिकूल होकर निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने नियमानुसार कोई कार्यवाही नहीं की तथा अपीलाण्ट को जवाब पेश करने एवं सुनवाई व साक्ष्य का अवसर भी प्रदान नहीं किया और ना ही मौके का निरीक्षण किया। आनन-फानन में यह विवादित आदेश पारित कर दिया जो अवैधानिक होने से निरस्त योग्य है। अपील अन्दर मियाद पेश है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का पारित आदेश दिनांक 12.12.2022 निरस्त फरमावें।

Web Copy - Not Official

विद्वान राजकीय अभिभाषक का मुख्य कथन यह रहा कि प्रश्नगत भूमि वर्तमान में राजकीय चारागाह भूमि है जिस पर अपीलार्थी द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर कब्जा कर रखा है जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि से बेदखली एवं शास्ति आरोपित करने का पारित आदेश विधि सम्मत् है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता पूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रथम आदेशिका दिनांक 22.11.2022 पर अपीलांट को सुनवाई हेतु उपस्थित होने के लिए नोटिस/सूचना पत्र जारी किया जाकर पेशी दिनांक 05.12.2022 निर्धारित की गई है तथा द्वितीय आदेशिका दिनांक 05.12.2022 पर अंकित किया है कि ''गैरसायलान अनुपस्थित। गैरसायलान को पुनः नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 12.12.2022 को पेश हो।'' तथा तृतीय आदेशिका दिनांक 12.12.2022 पर विवादित आदेश दिनांक 12.12.2022 पारित कर दिया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का विधिवत् अवसर ही प्रदान नहीं किया गया तथा प्रथम अवसर पर ही दिनांक 12.12.2022 को उक्त विवादित आदेश पारित कर दिया गया जो कि अनुचित होकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है।

यहां हम यह उल्लेख करना चाहेंगे कि कोई भी निर्णय पारित किये जाने से पूर्व पक्षकारों को नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विधिवत् सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करना नहीं पाया जाता है जो कि नैसर्गिग न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है।

निष्कर्षतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 12.12.2022 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य, सबूत पेश करने तथा विधिवत् सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर नए सिरे से विधि-सम्मत् निर्णय पारित करें।

''निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।''

(राकेश कुमार)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official